

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 603

थाना कांड सं.-76 वर्ष-2013 थाना-भेलदी जिला-सारण से उत्पन्न

शंभू बैठा, पिता- स्वर्गीय बंगाली बैठा के पुत्र, गाँव-झौआपट्टी, थाना.-भेलदी, जिला-सारण के निवासी।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302/304 - अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को आग लगाकर हत्या करने का प्रयास किया - सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता और मृतिका की बेटी/साक्षी/अभि. ग. 6 के साक्ष्य प्रस्तुत किए - अभि. ग. 6 केवल 8 वर्ष की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम - धारा 118, शपथ अधिनियम 1969, धारा 4 - विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य में गवाही देने की उसकी योग्यता का आकलन करने के लिए उक्त बाल गवाह से प्रारंभिक प्रश्न नहीं पूछे - जब तक संतुष्टि दर्ज न हो, बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती - कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई - विद्वान न्यायाधीश उक्त अभ्यास को पूरा करने में विफल रहे।

केवल अभि. ग. 6 के बयान पर भरोसा करके दोषसिद्धि का निर्णय - उसके समक्ष रखे गए प्रश्न को समझने की उसकी स्थिति के बारे में कोई राय बनाई गई - अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटना स्थल से कोई सामग्री जब्त नहीं की गई - अभियोजन पक्ष मृतिका को जलाने के लिए इस्तेमाल किए गए पदार्थ/सामग्री को स्थापित करने में विफल रहा - कथित केरोसिन तेल छत से नहीं मिला - अन्य सह - आरोपियों पर अलग से मुकदमा चलाया गया और निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया - अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा - दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया - अभिनिर्धारित।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 603

थाना कांड सं.-76 वर्ष-2013 थाना-भेलदी जिला-सारण से उत्पन्न

शंभू बैठा, पिता- स्वर्गीय बंगाली बैठा के पुत्र, गाँव-झौआपट्टी, थाना.-भेलदी, जिला-सारण के निवासी।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री अमित नारायण, अधिवक्ता
 : श्रीमती रितिका राँय, अधिवक्ता
 : श्री सरोज कुमार सिंह, अधिवक्ता,
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि-18-01-2024

वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2013 के भेलदी थाना कांड संख्या 76, जी. आर. संख्या 2417/2013 से उत्पन्न 2014 के सत्र

परीक्षण संख्या 542 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत निचली अदालत ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह पठित धारा 34 (इसके बाद 'भारतीय दंड विधान संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा आजीवन कारावास और 25, 000/- रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई एवं जुर्माने का भुगतान न करने पर चार महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा दी गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि मृतिका सीमा देवी के भाई, सूचक उपेंद्र बैठा के फरदबेयान से निकला है, जो थाना भेलदी, जिला-सारण के एस. आई. संजय कुमार द्वारा दोपहर 3:30 बजे दर्ज किया गया है कि 07.06.2013 को सूचक को अपने मोबाइल नंबर 8804823007 पर जानकारी मिली कि उसकी बहन सीमा देवी, आरोपी शंभू बैठा की पत्नी, की हालत गंभीर है। मृतिका की शादी हिंदू कानून और रीति-रिवाजों के अनुसार वर्ष 2002 में ग्राम झौआपट्टी, थाना-भेलदी, जिला-सारण के निवासी आरोपी शंभू बैठा से हुई थी। मृतिका के दो बेटे हुए जिनके नाम प्रियांश कुमार जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष थी, हिमांशु कुमार जिनकी उम्र लगभग 2 वर्ष थी और एक बेटी जिसका नाम निभा कुमारी था जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। मृतिका की हालत गंभीर होने की सूचना मिलने पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया। जब सूचक दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी बहन के वैवाहिक घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन सीमा देवी को जला कर मार दिया गया था और उसके वैवाहिक परिवार के सदस्य शव को घर में छोड़कर भाग गए थे। मृतिका का पति, उसके पति का बड़ा भाई, पत्नी उसके बड़े भाई का पुत्र उससे मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था और संबंधित दिन, उन्होंने उसे जला दिया था। सूचक ने दावा किया कि आरोपी शंभू बैठा, उसके भाई केदार बैठा, केदार बैठा की पत्नी और मिथिलेश कुमार बैठा ने उसकी बहन को आग में जलाकर मार दिया जलाकर मार दिया।

3. सूचक फरदबेयान के आधार पर, 2013 का भेलदी थाना कांड संख्या 76 भा.दं. सं. की धारा 302/34 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद, जांच अधिकारी ने जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र के आधार पर, दंडाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को दौड़ा सुपूँर्ण कर दिया गया। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय किए गए जिन पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. मुकदमे के दौरान, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अभि.ग. 1 शीओ दयाल सिंह, अभि.ग. 2 मुकुल कुमार बैठा, अभि.ग. 3 समरेश कुमार सिंह, अभि.ग. 4 दुलारचंद बैठा, अभि.ग. 5 संजय कुमार, अभि.ग. 6 निभा कुमारी, अभि.ग. 7 उपेंद्र बैठा (सूचक) और अभि.ग. 8 डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह शामिल थे। मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। प्रदर्श 1-गवाह - मुकुल कुमार बैठा का फरदबेयान पर हस्ताक्षर, प्रदर्श-2 फरदबेयान प्रदर्श-3 केस डायरी में तैयार किया गया नक्शा, प्रदर्श 4-अपने फरदबेयान पर सूचना देने वाले का हस्ताक्षर, और प्रदर्श-5 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। बचाव पक्ष ने तीन गवाहों बचाव ग. 1 बिमल पंडित, बचाव ग. 2 मंजू देवी और बचाव ग. 3 मीरा देवी को भी पेश किया है। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलार्थी का बयान आप.दं. सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था और मुकदमे के समापन के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को ऊपर बताए गए तरीके से दोषी ठहराया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि कथित घटना के लिए जो लगभग 12.00 बजे हुई थी, सूचनादाता का फरदबेयान घटना के स्थान पर 15.30 बजे दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फरदबेयान में सूचना देने वाले के मामले के अनुसार, वह लगभग 14.30 बजे घटना

स्थल पर पहुंचा और एक घंटे की अवधि के बाद प्राथमिकी दर्ज किया गया। सूचक ने फरदबेयान में यह खुलासा नहीं किया है कि उसकी *भांजी* (भतीजी) निभा कुमारी ने कहा कि उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी मां की हत्या की है। हालाँकि, इसके बाद मृतिका की आठ साल की बेटी को प्रश्नगत घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है और इस तरह यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मृतिका की हत्या की है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अवधारणा विभिन्न कारणों से विश्वास करने योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाल गवाह निभा कुमारी (अभि.ग. 6), जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष है, ने अपने बयान में कहा है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बावजूद उसे अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बयान दर्ज करते समय भी, विद्वत विचारण न्यायालय ने उसे यह पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न नहीं पूछे हैं कि क्या वह उसके सामने रखे गए प्रश्न का सामना करने की स्थिति में है या नहीं। उक्त गवाह (अभि.ग.6) के बयान से यह भी बताया गया है कि वह अपने मामा (*मामा*) यानी सूचक के साथ अदालत में आई थी और वह घटना की तारीख के तुरंत बाद अपने मामा के साथ रह रही थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी उक्त गवाह के बयान में बड़े विरोधाभास की ओर इशारा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचारण न्यायालय ने तथाकथित चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि दर्ज की है। इस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित *पी. रमेश बनाम राज्य का मामला जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक (2019) 20 एस. सी. सी. 593* में तथा एक अन्य निर्णय *प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 777* और *मुन्ना साह बनाम बिहार राज्य 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 5099* में रिपोर्ट किया है, इस न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भरता रखी है। जिसमें यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार

करने के बाद, माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि विचारण न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाल गवाह से सवाल करने की कवायद नहीं की है कि क्या उक्त बाल गवाह उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है, तो ऐसे बाल गवाह के बयान पर विशेष रूप से किसी भी पुष्टि के अभाव में अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5.1 इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि जाँच अधिकारी के बयान से यह भी पता चलता है कि उसने घटना स्थल से कोई आपत्तिजनक सामग्री जैसे मिट्टी के तेल का डब्बा या कोई अन्य सामग्री एकत्र नहीं की है जिससे यह कहा जा सके कि अपीलार्थी ने मृतिका को आग लगा दी थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभि.ग. 8 शैलेंद्र कुमार सिंह (मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर) ने यह भी कहा है कि मृत्यु के बाद से 12-24 घंटों के भीतर समय बीत गया है। पोस्टमार्टम शाम 5.35 बजे किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं कि मृतिका की मृत्यु 12-24 घंटों के भीतर हुई थी। अपीलार्थी के विद्वान् वकील, इसलिए, आग्रह करते हैं कि जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, तो निचली अदालत को अपीलार्थी को बरी कर देना चाहिए था, हालाँकि, निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया है। इसलिए, विद्वान वकील ने अनुरोध किया है कि इस अपील की अनुमति दी जाए और विवादित फैसले को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान स. लो. अभि. ने इस अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है जिसमें अपीलार्थी की बेटी ने अपीलार्थी के खिलाफ बयान दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की बेटी, जो एक बाल गवाह है, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और अपीलार्थी के

खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाया है। विद्वान स. लो. अभि. ने आगे कहा है कि केवल इसलिए कि जांच एजेंसी की ओर से कुछ खामियां हैं, इसका लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। अतः विद्वान स. लो. अभि. ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

7. हमने राज्य के लिए अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान स. लो. अभि. की दलीलों पर विचार किया है और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री जिसे निचली अदालत के समक्ष रखा गया था, का भी अध्ययन किया है। अभिलेख से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की थी। अभि.ग.1 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभि.ग. 3 ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभि.ग.2 मुकल कुमार बैठा मृतिका का भाई है। अपने मुख्य परीक्षा में, उन्होंने कहा है कि खबर मिलने पर, वह अपने पिता दुलारचंद बैठा (अभि.ग.4) और शत्रुधन बैठा के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि उसे ससुराल वालों ने जला कर मार दिया था और शव जमीन पर पड़ा हुआ था। इस गवाह ने आगे कहा कि ससुराल वाले लोग किसी काम के लिए दहेज की मांग कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने उसकी बहन की हत्या कर दी। अभि.ग.4 ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी बेटी की जलने से मृत्यु हो गई और उसके ससुराल वालों ने सामूहिक रूप से उसकी बेटी की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष का मामला केवल अभि.ग.6 निभा कुमारी द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है, जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष है और वह अपीलार्थी और मृतिका की बेटी है। अभि.ग.6 निभा कुमारी ने अपने बयान में कहा है कि उनके मामा उन्हें बयान के लिए अदालत में लाए हैं। अभि.ग.6 ने आगे कहा कि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या कर दी है। उन्होंने अपनी जाँच-पड़ताल में आगे कहा कि जहाँ उनके पिता ने उनकी माँ को पीटा था, वहाँ उनकी मंझली माँ, मंझला पिता, केदार बैठा और मिथिलाश भैया भी मौजूद थे और नहीं था। उसकी मुख्य परीक्षा के

कंडिका 4 में उसने आगे कहा है कि पुलिस ने उससे नहीं पूछा था। अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे नहीं पता कि वह सर्दी थी या गर्मी या बरसात का मौसम। अपनी जिरह के कंडिका 8 में, उसने कहा है कि उसकी माँ को छत के पूर्व की ओर जला दिया गया था और वह भी छत पर भी थी। उसने जिरह में आगे कहा है कि उसकी माँ को जलाने के बाद नीचे लाया गया था और उसकी माँ को जलाने के बाद, उसके पिता और अन्य भाग गए। अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में, उसने कहा है कि उसके मातृ संबंधी उसकी माँ की मृत्यु के एक घंटे बाद आए थे। अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 10 में, उन्होंने कहा है कि सरसों, मक्का छत पर थे लेकिन बिखरे हुए स्थिति में नहीं थे। अपनी जिरह के कंडिका 11 में, उसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उसकी माँ खाना बनाते समय जल गई थी और ऐसा नहीं है कि उसके मामा ने झूठा मामला दर्ज कराया है।

8. अभि.ग. 7 उपेंद्र बैठा मृत्तिका का भाई है और वर्तमान मामले का सूचक भी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि एक शतरोहन बैठा ने मेरे चाचा को घटना के बारे में सूचित किया था और जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंबल से ढका एक शव वहां पड़ा था और सभी भाग गए थे। पुलिस आई और उसका फरदबेयान दर्ज किया। अपनी मुख्य परीक्षा की कंडिका 4 में उन्होंने कहा है कि जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें आंगन में टूटी हुई चूड़ी और छत पर जले हुए बाल मिले। अभि.ग. 7 ने 01.07.2015 को शपथ लेते हुए आगे कहा है कि वह बहन के घर से मिलने आया था। कंडिका 8 में, उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने थाना में मामला दर्ज किया है और उसे अस्पष्ट रूप से याद है कि इसमें क्या कहा गया था। कंडिका 10 में उन्होंने कहा है कि पूरा शरीर और बाल जल गए थे। अभि.ग. 7 ने आगे कहा है कि शव के पास एक चूल्हा पड़ा था। उसने आगे कहा कि उसकी बहन के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और पैसे की मांग करते थे। वे उसे छत पर ले गए और उसे जला दिया। शपथ पर अपने बयान के कंडिका 11 में, अभि.ग. 7 ने आगे कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनकी बहन की मृत्यु खाना पकाने के कारण हुई थी।

9. अभि.ग.5 संजय कुमार (मामले के जाँच अधिकारी) जिन्होंने प्राथमिकी के पंजीकरण के बाद जांच की है, उक्त गवाह ने सूचना देने वाले का फरदबेयान दर्ज किया है। जाँच के दौरान, उक्त गवाह ने गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने घटना स्थल का भी दौरा किया है और नक्शा तैयार किया है जो केस डायरी के कंडिका सं. 12 में परिलक्षित हुआ था। नक्शा साक्ष्य - 3. के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उक्त गवाह, अपनी जिरह के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया कि उसने घटना स्थल से कोई सामग्री जब्त नहीं की है।

10. अभि.ग. 8 डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृत्तिका के शव का पोस्टमार्टम लगभग 5.35 बजे 07.06.2013 को यानी घटना की तारीख को किया था। उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने मृत्तिका के शरीर का पोस्टमार्टम किया है। बाहरी जाँच पर, उन्होंने पाया कि कठोरता मौजूद थी। पूरे शरीर पर सतही से गहरी जलन 100%। खोपड़ी के बाल जल गए। अभि.ग. 8 ने कहा है कि मृत्यु का कारण उपर्युक्त जलने की चोटों के कारण सदमे और सेप्सिम के कारण है जो पूर्व-परीक्षण था और मृत्यु के बाद से दोपहर 12 से 24 घंटे के भीतर समय बीत गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि 12 से 24 घंटे का मतलब 12 घंटे से कम नहीं और 24 घंटे से अधिक नहीं है।

11. अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी प्रश्नगत घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह अभि.ग. 6 निभा कुमारी हैं। अभि.ग.6 के बयान से पता चलता है कि उसके मुख्य परीक्षा के कंडिका 4 में उसने कहा है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की है। इस स्तर पर यह ध्यान रखना उचित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में निहित प्रावधानों के अनुसार कहा गया है कि सभी व्यक्ति तब तक गवाही देने में सक्षम होंगे जब तक कि अदालत यह विचार नहीं करती है कि उन्हें कम उम्र, अत्यधिक वृद्धावस्था, रोग, चाहे वह शरीर या मन का हो, या इसी तरह के किसी अन्य कारण से उनके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से रोका जाता है। इस प्रकार, एक बाल गवाह भी

गवाही देने के लिए सक्षम है जब तक कि अदालत यह नहीं मानती है कि उसे अपनी कम उम्र के कारण उचित जवाब देने से रोका गया है।

12. इस स्तर पर, हम शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 के प्रावधानों पर भी विचार करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है:

“4. गवाहों दुभाषियों और जूरी सदस्यों द्वारा दी जाने वाली शपथ या पुष्टि,— (1)

शपथ या पुष्टि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, अर्थात्:

(क) सभी गवाह, अर्थात्, वे सभी व्यक्ति जिनसे कानूनी रूप से पूछताछ की जा सकती है, या किसी न्यायालय या व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष साक्ष्य दिया जा सकता है या देने की आवश्यकता हो सकती है, जिनके पास कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ करने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) प्रश्न के व्याख्याकार और गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य :एवं

(ग) जूरी सदस्यों:

बशर्ते कि जहां गवाह बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है, और अदालत या ऐसे गवाह की जांच करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की राय है कि, हालांकि गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है, वह शपथ या पुष्टि की प्रकृति को नहीं समझता है, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान और धारा 5 के प्रावधान ऐसे गवाह पर लागू नहीं होंगे; लेकिन ऐसे किसी भी मामले में शपथ या पुष्टि की अनुपस्थिति। ऐसे गवाह द्वारा दिए गए किसी भी साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी और न ही सच बताने के लिए गवाह के दायित्व को प्रभावित करेगी।

(2)

13. उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान से यह कहा जा सकता है कि बारह वर्ष से कम आयु के बाल गवाह के मामले में, जब तक कि संतुष्टि दर्ज नहीं की जाती है, तब तक बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है। वर्तमान मामले में, यदि अभि.ग. 6 (बाल गवाह) द्वारा दिए गए बयान की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि संबंधित न्यायालय ने उक्त बाल गवाह से सवाल नहीं किया, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष थी। न्यायालय ने यह भी संतोष दर्ज नहीं किया है कि उक्त बाल गवाह उसके सामने रखे गए प्रश्न को समझने की स्थिति में है या नहीं। बयान में केवल एक प्रश्न सजा का उल्लेख किया गया है कि उसे उसके मामा के घर से लाया गया था और वह बयान देने के लिए अदालत में आई है।

14. इस स्तर पर, हम **मुना साह बनाम राज्य 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन पैट 5099** में रिपोर्ट किया गये, के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे। जिसमें एक प्रभाग इस न्यायालय की पीठ ने दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद **पी. रमेश बनाम राज्य का मामला जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक ने किया, (2019) 20 एस. सी. सी. 593** में रिपोर्ट की गई और एक अन्य निर्णय भी **प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में **2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 777** की कंडिका संख्या 24,25,26 और 27 में कहा है:

“24. 18. प्रदीप (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-7 से 10 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“7. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मामले का भाग्य नाबालिग गवाह अजय (अभि.ग.-1) की गवाही पर निर्भर करता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") के तहत, एक बाल गवाह तब तक गवाही देने में सक्षम है जब तक कि अदालत यह नहीं मानती है कि उसे उसके सामने रखे

गए प्रश्नों को समझने या उसकी कम उम्र के कारण तर्कसंगत उत्तर देने से रोका गया है। जहाँ तक बाल गवाह को शपथ देने का संबंध है, शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 (संक्षेप में "शपथ अधिनियम") प्रासंगिक है। धारा 4 इस प्रकार है:

"4. गवाहों द्वारा दी जाने वाली शपथ या पुष्टि, प्रश्न के व्याख्याकार और जूरी के सदस्यों—(1) शपथ या पुष्टि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, अर्थात्:

(क) सभी गवाह, अर्थात्, वे सभी व्यक्ति जिनसे कानूनी रूप से पूछताछ की जा सकती है, या किसी न्यायालय या व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष साक्ष्य दिया जा सकता है या देने की आवश्यकता हो सकती है, जिनके पास कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ करने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है;

(ख) गवाहों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दिए गए साक्ष्य की व्याख्या करने वाले; और

(ग) न्यायाधीश:

बशर्ते कि जहां गवाह बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है, और अदालत या ऐसे गवाह की जांच करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की राय है कि, हालांकि गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है, वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता है, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान और धारा 5 के प्रावधान ऐसे गवाह पर लागू नहीं होंगे; लेकिन ऐसे किसी भी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान की अनुपस्थिति को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी, ऐसे गवाह द्वारा दिया गया कोई भी साक्ष्य और न ही सच बताने के लिए गवाह के दायित्व को प्रभावित करता है।

(2)

8. धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बाल गवाह के मामले में, जब तक कि उक्त प्रावधान द्वारा आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं की जाती है, तब तक बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है। इस मामले में, अभि.ग.-1 अजय के बयान में, यह उल्लेख किया गया है कि साक्ष्य दर्ज करने के समय उनकी आयु 12 वर्ष थी। अतः शपथ अधिनियम की धारा 4 का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा। तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विद्वत् विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह अपनी राय दर्ज करे कि बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और वह उससे पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। विचारण न्यायाधीश को अपनी राय भी दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और बताता है कि उसकी राय क्यों है कि बच्चा सच बोलने के कर्तव्य को समझता है।

9. यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है। कम उम्र का एक बच्चा गवाह आसानी से शिक्षण के लिए अतिसंवेदनशील होता है। हालाँकि, यह अपने आप में एक बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। न्यायालय को इस सवाल पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना है। इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य की जांच अदालत द्वारा सावधानी और सतर्कता के साथ की जानी चाहिए।

10. नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग सवाल पूछे गए और उनका जवाब देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझें। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता में जा सके।

25. 18..पी. रमेश (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-13 से 16 में कहा है कि

“13. धारा 118 [“118. कौन गवाही दे सकता है।— सभी व्यक्ति तब तक गवाही देने में सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय यह नहीं समझता कि उन्हें दिए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से रोका गया है, कोमल वर्षों, अत्यधिक वृद्धावस्था, रोग, चाहे वह शरीर या मन का हो, या इसी तरह के किसी अन्य कारण से।स्पष्टीकरण।—एक पागल गवाही देने में अक्षम नहीं होता है, जब तक कि वह अपने पागलपन से उसे दिए गए प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने से नहीं रोकता है।”] साक्ष्य अधिनियम, 1872 अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता से संबंधित है।धारा 4 [“4। शपथ या गवाहों, प्रश्न के व्याख्याकार और जूरी के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पुष्टि .—(1) शपथ या पुष्टि

निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, अर्थात्(क) सभी गवाह, अर्थात्, वे सभी व्यक्ति जिनकी कानूनी रूप से जांच की जा सकती है, या किसी अदालत या व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष गवाही दी जा सकती है या देने की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से ऐसे व्यक्तियों की जांच करने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है; (ख) गवाहों को दिए गए प्रश्नों की व्याख्या करने वाले और गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य; और (ग) जूरी सदस्य: बशर्ते कि जहां गवाह बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, और अदालत या ऐसे गवाह की जाँच करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की राय है कि, हालांकि गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है, वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता है, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान और धारा 5 के प्रावधान ऐसे गवाह पर लागू नहीं होंगे; लेकिन ऐसे किसी भी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान की अनुपस्थिति ऐसे गवाह द्वारा दिए गए किसी भी साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी और न ही सच बताने के लिए गवाह के दायित्व को प्रभावित करेगी।(2) इस धारा की कोई भी बात अभियुक्त व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में शपथ या प्रतिज्ञान देना विधिसम्मत नहीं बनाएगी, जब तक कि उसकी प्रतिकक्षा के लिए एक गवाह के रूप में जाँच नहीं की जाती है, या किसी न्यायालय के आधिकारिक दुभाषिये को अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में प्रवेश करने के बाद, एक शपथ या प्रतिज्ञान देना आवश्यक नहीं है कि वह उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेगा।”] शपथ अधिनियम, 1969 के अनुसार बारह वर्ष से कम आयु के बाल गवाहों के अपवाद के साथ सभी गवाहों को शपथ लेने या पुष्टि करने की आवश्यकता है। इसलिए, यदि अदालत संतुष्ट हो जाता है कि बारह वर्ष से कम आयु का बाल गवाह एक सक्षम गवाह है, तो ऐसे गवाह से बिना शपथ या

पुष्टि के पूछताछ की जा सकती है। यह नियम दत्त रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य [दत्त रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एस. सी. सी. 341, 1997 एस.सी.सी.(क्री) 685 में कहा गया था: जहाँ इस न्यायालय ने बाल गवाहों के संबंध में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पी. 343, कंडिका 5)

“5. ... एक बाल गवाह यदि तथ्यों को गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है और ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम हो और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और उसे पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है।

14. एक बच्चे को पहले एक सक्षम गवाह होना चाहिए, तभी उसका बयान स्वीकार्य है। यह नियम व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका [व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 1895 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 220: [40 एल एड 244: 159 यूएस 523 (1895)], में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में निर्धारित किया गया था। जिसमें यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी. ऑनलाइन यूएस एस. सी. पैरा 5)

“5. ... जबकि कोई भी केवल दो या तीन साल कोई सटीक उम्र नहीं है जो योग्यता के सवाल को निर्धारित करती है शिशु को गवाह के रूप में बुलाने के बारे में नहीं सोचेगा। यह बच्चे की क्षमता और बुद्धि, सच्चाई और झूठ के बीच

के अंतर की उसकी सराहना के साथ-साथ पहले वाले को बताने के उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो प्रस्तावित गवाह को देखता है, उसके तरीके, उसके स्पष्ट कब्जे या खुफिया जानकारी की कमी को नोटिस करता है, और किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ के दायित्वों की उसकी समझ को प्रकट करेगा। चूंकि इनमें से कई मामलों को अभिलेख में चित्रित नहीं किया जा सकता है, इसलिए परीक्षण न्यायाधीश के निर्णय को समीक्षा पर तब तक बाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि जो संरक्षित है उससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि यह गलत था।

15. रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य [रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2004) 1 एस. सी. सी. 64:2004 एस. सी. सी. (क्री) 7. इसके बाद, निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 12 एस. सी. सी. 565, (2009) 1 एस. सी. सी. (क्री) 454 में भरोसा किया गया: इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया: (एस. सी. सी. पीपी. 67-68, कंडिका 7)

“7. ... इस सवाल पर निर्णय कि क्या बाल गवाह के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है, मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है जो उसके व्यवहार, उसके स्पष्ट कब्जे या बुद्धिमत्ता जानकारी की कमी को नोटिस करता है, और उक्त न्यायाधीश किसी भी जांच का सहारा ले सकता है जो की ओर जाता है। जिससे उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ साथ शपथ के दायित्व की समझ का खुलासा हो सके। हालाँकि, निचली अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बाधित किया जा सकता है यदि अभिलेखों में जो संरक्षित है, उससे यह स्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष गलत था। यह सावधानी आवश्यक है

क्योंकि बाल गवाह शिक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं और अक्सर बनावटी की दुनिया में रहते हैं। हालांकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह खतरनाक गवाह होते हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित होने हैं, आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है, लेकिन यह भी एक स्वीकृत मानदंड है कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसमें सच्चाई का प्रभाव है, तो बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने के तरीके में कोई बाधा नहीं है।

16. बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए, न्यायाधीश को अपनी राय बनानी होती है। न्यायाधीश एक बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है और बुद्धि और ज्ञान की डिग्री के बारे में कोई सटीक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो बच्चे को एक सक्षम गवाह प्रदान करेगा। एक बाल गवाह की क्षमता का पता उसे पूछताछ करके लगाया जा सकता है ताकि वह गवाह की घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगा सके। आपराधिक कार्यवाही में, किसी भी उम्र का व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है यदि वह (i) गवाह के रूप में रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है; और (ii) उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर दे सकता है जिन्हें समझा जा सकता है। कम उम्र के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसके पास प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है। [रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2004) 1 एससीसी 64:2004 एस. सी. सी. (क्री) 7] एक बच्चा केवल तभी अक्षम हो जाता है जब अदालत यह मानती है कि बच्चा प्रश्नों को समझने और सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उनका उत्तर देने में असमर्थ था। [सरकार, साक्ष्य का कानून, 19वां संस्करण, खंड 2, लेक्सिस नेक्सिस, पी. 2678 लोक अभियोजन निदेशक बनाम एम, 1998 क्यू. बी. 913 (1998) 2 डब्ल्यूएलआर 604:(1997) 2

सभी ई. आर. 749 (क्यू. बी. डी.) का हवाला देते हुए:] यदि बच्चा अपने से पूछे गए प्रश्नों को समझता है और उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देते हुए, यह माना जा सकता है कि वह जाँच के लिए एक सक्षम गवाह है।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। न्यायाधीश को यह पता लगाने के लिए कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है, उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है। यह आगे कहा जा सकता है कि बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश को अपनी राय बनानी होती है। न्यायाधीश को बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण करने की स्वतंत्रता है। एक बाल गवाह की क्षमता का पता उससे पूछताछ करके लगाया जा सकता है ताकि वह गवाह की घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगा सके। आपराधिक कार्यवाही में, किसी भी उम्र का व्यक्ति, साक्ष्य देने में सक्षम है यदि वह गवाह के रूप में रखे गए प्रश्नों को समझने और उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर देने में सक्षम है जिन्हें समझा जा सकता है। कम उम्र के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसके पास प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है। हालांकि, एक बच्चा उस मामले में अक्षम हो जाता है जिसमें अदालत मानती है कि बच्चा प्रश्नों को समझने और उन्हें सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उत्तर देने में असमर्थ था।

27. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि संबंधित विचारण न्यायाधीश ने बाल गवाह से सवाल करके उपरोक्त अभ्यास नहीं किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभि. ग.-8 (बाल गवाह) उसके सामने रखे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता केवल पीडब्लू-8 द्वारा दी गई गवाही पर है, जो 10 वर्ष की आयु के बाल गवाह है और उनकी उम्र घटना के समय लगभग 7.5 वर्ष थी, जो कि गलत निर्भरता है। इसलिए, निचली अदालत ने गलत तरीके से बाल गवाह के उक्त बयान पर भरोसा किया है।

15. उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर एक बच्चे की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है और वह तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

16. उपरोक्त निर्णय और वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, विद्वान न्यायाधीश उक्त अभ्यास के उपयोग को पूरा करने में विफल रहे हैं। वर्तमान मामले में, बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए, न्यायाधीश ने इस बारे में कोई राय नहीं बनाई है कि अभि. ग.6 निभा कुमारी उसके सामने रखे गए प्रश्न को समझने की स्थिति में हैं या नहीं।

17. इस स्तर पर, यह ध्यान देना उचित है कि विचारण न्यायालय ने उक्त बाल गवाह द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करने पर ही दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया है। इसके अलावा, हम जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख करना चाहेंगे। जांच अधिकारी ने जिरह के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल से कोई सामग्री जब्त नहीं की है। इस स्तर पर, यह याद किया जाना चाहिए कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि वर्तमान अपीलार्थी ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मृत्तिका की हत्या कर दी है, जो वर्तमान अपीलार्थी की पत्नी थी और जलने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष उस पदार्थ/सामग्री को स्थापित करने में विफल रहा है जिससे उसे जलाया गया था, यहाँ तक कि छत से मिट्टी का तेल भी नहीं मिला था। जांच अधिकारी के बयान में इसके संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। अब, यह अपने बचाव में अपीलार्थी का मामला है कि मृत्तिका की मृत्यु जलने की चोट के कारण हुई जब वह भोजन तैयार कर रही थी।

18. अभि. ग. 8 डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने मृत्तिका का पोस्टमार्टम किया था, ने अपने मुख्य परीक्षण में विशेष रूप से कहा है कि मृत्यु के बाद से 12-24 घंटों समय बीत गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पोस्टमार्टम घटना की तारीख यानी 07.06.2013 पर शाम 5.35 बजे किया गया था। जिरह में उक्त गवाह 12-24 घंटे का अर्थ "12 घंटे से कम नहीं और 24 घंटे से अधिक नहीं" बताते हुए "12-24 घंटों के भीतर" का अर्थ समझाया। हालाँकि, अभियोजन पक्ष का मामला है कि यह घटना दोपहर के लगभग 12.00 बजे हुई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अन्य सह-अभियुक्तों पर अलग से मुकदमा चलाया गया है और अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष विशेष रूप से तर्क दिया है कि अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ किए गए उक्त अलग मुकदमे में, उन्हें निचली अदालत

द्वारा बरी कर दिया गया है और सूचना देने वाले और बाल गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

19. हमने विचारण अदालत द्वारा दर्ज किए गए तर्कों को भी देखा है, हालांकि, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, विचारण अदालत को वर्तमान अपीलार्थी को बरी कर देना चाहिए था।

20. इसलिए, 2013 के भेलदी थाना कांड संख्या 76, जी. आर. संख्या 2417/2013 से उत्पन्न, 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 542 में सीवान, छपरा में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरन द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय दिनांक 26.05.2016 और सजा का आदेश दिनांक 30.05.2016, रद्द एवं दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

21. अपील स्वीकृत की है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पंकज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।